भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न सं. 2313

03.08.2026 को उत्तर के लए

बढ़ता हुआ निर्वनीकरण

2313. श्री बी. म णक्कम टैगोर :

क्या पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार को देशभर में बढ़ते निर्वनीकरण के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा हाल के वर्षों में वन क्षेत्र के संबंध में क्या प्रवृति देखी गई है और भावी क्षरण को रोकने के लए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या औद्यो गक और अवसंरचना परियोजनाओं के लए वन भू म के प्रयोग में वृद् ध हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जैव व वधता और पारिस्थितिक संतुलन पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन क्या है;

(ग) क्या प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों ने नष्ट हुए वन क्षेत्र को प्रभावी ढंग से पुनर्स्था पत कया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो वफलता के क्या कारण हैं और क्या सुधारात्मक उपाय कए गए हैं;

(घ) क्या अवैध कटाई और अतिक्रमण वनों के लए खतरा बने हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी गति व धयों पर अंकुश लगाने के लए क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने वन संरक्षण के लए प्रौद्यो गकी का उपयोग कर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ कया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्वनीकरण को रोकने के संबंध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन संह)

(क) से (ङ): पछले दशक के दौरान देश में वन और वृक्ष आवरण में वृद् ध का रुझान रहा है। भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर), 2023 के अनुसार देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण 8,27,356.95 वर्ग कलोमीटर है, जो देश के कुल भौगो लक क्षेत्रफल का 25.17 प्रतिशत है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2023 के अनुसार भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2021 की तुलना में 1,445.81 वर्ग कलोमीटर की वृद् ध दर्शाता है। इसके अलावा, आईएसएफआर-2013 और आईएसएफआर-2023 के दौरान भारत के वन और वृक्ष आवरण में 37,378 वर्ग कमी की निवल वृद् ध दर्ज की गई है।

वन भू म के अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग का वनियमन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अ धनियम, 1980 के अंतर्गत कया जाता है। दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2026 की अव ध के दौरान निर्धारित प्र क्रया का पालन करते हुए तथा प्रतिपूरक वनीकरण एवं वन्यजीव संरक्षण संबंधी सुरक्षा उपायों जैसे शमन उपायों के अध्यधीन 1,05,594.32 हेक्टेयर वन भू म के अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग की स्वीकृति प्रदान की गई।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अ धनियम, 1980 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुपालन में संब ंधत राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण कया जाता है। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, पछले पाँच वर्षों के दौरान 1,78,261.52 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण कया गया है। इन वृक्षारोपणों की उत्तरजी वता की दर 40 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच आँकी गई है।

इसके अलावा, मंत्रालय देश में वनों के संरक्षण, सुरक्षा एवं संधारणीय प्रबंधन सहित वन एवं वृक्ष आवरण में वृद् ध के लए केंद्र सरकार की व भन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वत्तीय सहायता प्रदान करता है। इनमें, अन्य के साथ-साथ, राष्ट्रीय हरित भारत मशन, नगर वन योजना, तटीय पर्यावास एवं आजी वका संवर्धन हेतु मैंग्रोव पहल, प्रतिपूरक वनीकरण नि ध प्रबंधन एवं योजना प्रा धकरण, वन्यजीव आवासों का समे कत वकास तथा वनाग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजनाएँ शा मल हैं।

मंत्रालय राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को वनों और वृक्षों की सुरक्षा तथा वनों की कटाई को रोकने के लए व धक प्रावधानों के अनुसार परामर्शी पत्र जारी करता है, जिसमें अवैध कटाई और अतिक्रमण की रोकथाम भी शा मल है। कए गए उपायों में वन भू म का सर्वेक्षण और सीमांकन, सीमा स्तम्भ, निय मत गश्त, लागू कानूनों के अनुसार कानूनी कार्रवाई तथा संयुक्त वन प्रबंधन स मतियों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी शा मल है।
